

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग - 2

४ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बंधित सामान्य जानकारो ४
सोमवार, 9 सितम्बर, 1996 / भाद्रपद, 18, 1918 शक ४

संख्या : 280.

सदस्यों को नज़रबंदो एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस,
पश्चिमी जिला, नई दिल्ली से दिनांक : 4. 8. 1996 को निम्नलिखित सूचना
दिनांक : 6. 8. 1996 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा के माननीय
सदस्य सर्वश्री जोत राम सोलंकी एवं सतप्रकाश राणा को आज
अर्थात् दिनांक : 4. 8. 96 को अपराहन 12.45 बजे पुलिस
थाना, नांगलाई, पश्चिमी जिला, की ओर के अधिकार क्षेत्र
में नांगलोई चौक से पुलिस के विधि से त् निर्देशों को अवज्ञा
करने के कारण पुलिस अधिनियम, 197 की धारा 65 के
अन्तर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक : 4. 8. 96 को अपराहन
12. 50 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BYLLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)

Monday, September, 09 1996/Bhadrapud 18, 1918 (Saka)

No. 283

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 4.8.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly was received from the Dy. Commissioner of Police, West District, New Delhi on 6.8.96 :-

"I have the honour to inform you that S/Shri Jeet Ram Solanki and Sat Prakash Rana, Hon'ble Members of Legislative Assembly, National Capital Territory of Delhi have been detained on 4.8.96 at 1245 hours and released at 1250 hours on 4.8.96 under Section 65 D.P.Act, 1978 for non-compliance of the reasonable direction of the Police Officer at Nangloi Chowk in the jurisdiction of P.S.Nangloi, West District, Delhi."

F.N. GUPTA
SECRETARY